अध्याय IV

लेखे की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

यह अध्याय, लेखे की गुणवत्ता तथा राज्य सरकार के वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं, और पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के संबंध में निर्देशों के अनुपालन का अवलोकन करता है।

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना पर आधारित एक बेहतर आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ ऐसे अनुपालनों की स्थिति प्रतिवेदन की समयपरता एवं गुणवत्ता, सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो यह राज्य सरकार को उनके आधारभूत उत्तरदायित्व के निर्वहन, रणनीतिक योजना का निर्माण एवं निर्णय लेने में सहायक होता है।

लेखे की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

4.1 राज्य सरकार के ऋण (गैर–बजट उधारी) को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (1) के अनुसार, राज्य सरकार भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर, राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर, यदि कोई हो, ऐसी सीमाओं के भीतर उधार ले सकती है, जो समय–समय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाए और सरकार संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है, यदि कोई हो, जैसा निर्धारित किया गया हो।

राज्य सरकार को प्रतिभूति के रूप में आकस्मिक देयताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और एस0पी0वी0 तथा अन्य समकक्ष कारक द्वारा उधारों से उत्पन्न वास्तविक देयता जहां पुनर्भुगतान की देयता राज्य सरकार के आवंटनों की है, का खुलासा करके जनहित में अपने राजकोषीय प्रचलनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य सरकार ने एक राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी0एस0यू0)/प्राधिकरण के माध्यम से गैर–बजट उधारी ली जैसा कि **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1: वर्ष 2022–23 के दौरान गैर–बजट उधारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्थान/इकाई	राशि	टिप्पणियां
1.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0आर0डी0सी0एल0) (पथ निर्माण विभाग)	686.77	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) द्वारा वितरित
	कुल	**686.77**	

(स्रोतः संबंधित इकाई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा)

बी0एस0आर0डी0सी0एल0 ने पटना में जेपी गंगा पथ परियोजना के निर्माण के लिए ₹ 2,000.00 करोड़ की कुल स्वीकृत ऋण राशि में से ₹ 1,206.77 करोड़ (2021–22 में ₹ 520.00 करोड़ और 2022–23 में ₹ 686.77 करोड़) उधार लिया है। हालाँकि, बी0एस0आर0डी0सी0एल0 ने (अगस्त 2023) जवाब दिया है कि राज्य सरकार ने गारंटी दी हैं। इस संबंध में, वित्त लेखे (खंड – II) के विवरण–20 में कोई जानकारी नहीं पायी गयी।

हालाँकि, राज्य सरकार ने संबंधित वित्तीय वर्ष के अपने बजट दस्तावेजों /वार्षिक वित्तीय विवरणों में गैर–बजट उधारी को प्रदर्शित नहीं किया।

यह इंगित करता है कि गैर–बजट उधारी को लेखे में शामिल करने के बाद, वर्ष 2022–23 में ऋण–परिमाण ₹ 686.77 करोड़ से अधिक होगा। तदनुसार, ऋण/जी0एस0डी0पी0 अनुपात 39.13 प्रतिशत तक बढ जाएगा। तदनुसार, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा भी बढ जाएगा।

4.2 ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना

राज्य सरकार ब्याज सहित जमा/ आरक्षित निधि पर ब्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी है जैसा कि **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधि के संबंध में ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्याज सहित जमा का नाम	01 अप्रैल 2022 को शेष	देय ब्याज		ब्याज भुगतान
			बकाया	दर (प्रतिशत)	
1.	सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना और अन्य बीमा निधि	258.74	18.37	7.1	-
2.	अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	272.33	1.11	7.1	-
3.	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एस0सी0ए0एफ0)	566.71	18.98	3.35	-
4.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	229.06	17.16	7.49	-
5.	राज्य आपदा शमन निधि	245.72	18.40	7.49	
कुल			**74.02**		

(स्रोतः वित्त लेखे 2022–23)

हालाँकि, सरकार द्वारा ₹ 74.02 करोड़ की राशि का प्रावधान ब्याज सहित जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान के लिए नहीं किया गया था। ब्याज देनदारी का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा उस सीमा तक कम बताया गया है।

4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा अंतरण

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यन्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों को पर्याप्त धनराशि सीधे अंतरित करती है। चूँकि, इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से नहीं दिया जाता है, अतः यह राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं। ऐसे अंतरण, संबंधित वर्षों के वित्त लेखे के खंड–II के परिशिष्ट–VI में प्रदर्शित होते हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 24,302.19 करोड़ अंतरित किये गये जो विगत वर्ष (₹ 19,117.31 करोड़) की तुलना में 27.12 प्रतिशत अधिक थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण की प्रवृत्ति को **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा अंतरण

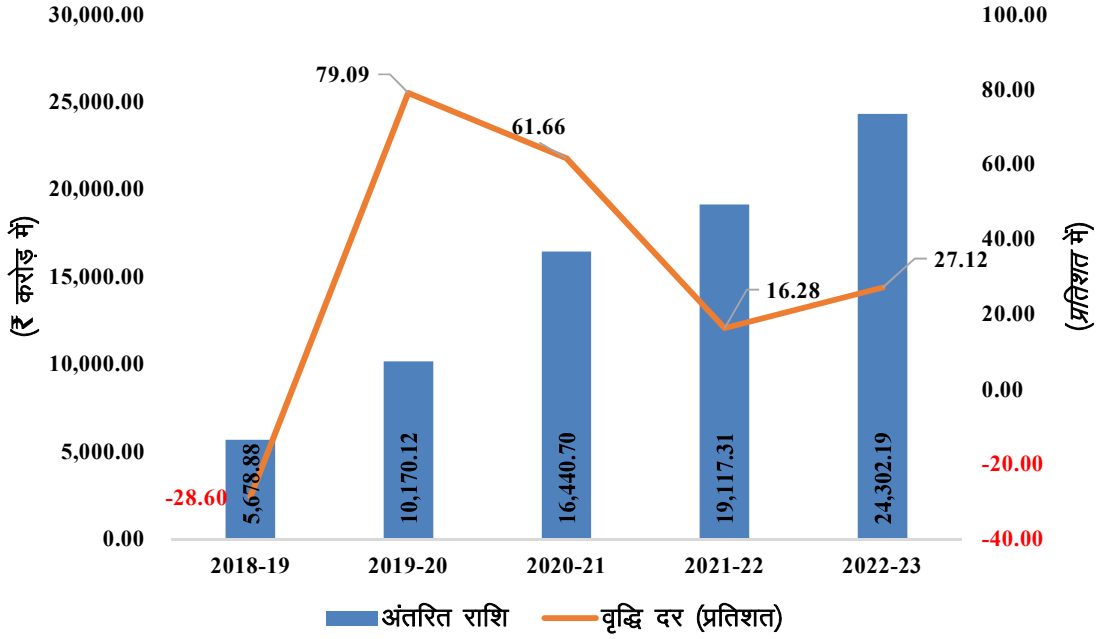

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तीन[1] कार्यान्वयन एजेंसियों से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि की उपयोगिता से संबंधित सूचना माँगी गई थी, लेकिन किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी ने संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करायी।

सी0एस0एस0, जिनमें ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक की धनराशि सीधे अंतरित की गई, वे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (₹ 754.50 करोड़), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि–पीएम किसान (₹ 4,879.77 करोड़), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम (₹ 5,120.43 करोड़) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी (₹10,966.10 करोड़) थे।

वर्ष 2022–23 के दौरान, केंद्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) के अंतर्गत ₹ 24,302.19 करोड़ का केंद्रांश, राज्य की समेकित निधि को दरकिनार करते हुए सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित किया गया। राज्य सरकार के बजट और व्यय को ₹ 24,302.19 करोड़ रुपए तक संकुचित करने के अलावा, इससे सृजित परिसंपत्तियाँ राज्य लेखे में परिलक्षित नहीं हो पाई, जिससे लेखे अपूर्ण रहे।

4.4 स्थानीय जमा निधि

राज्य पंचायती राज अधिनियम प्रावधान करता है कि जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत (मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय जमा निधि–109–पंचायत निकाय कोष अंतर्गत) निधि का संधारण कर सकेंगे। जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी धन तथा पंचायती राज्य संस्थानों (पी0आर0आई0) द्वारा प्राप्त सभी धन जैसे कि राज्य वित्त आयोग से हिस्से के रूप में केंद्रीय वित्त आयोग तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ–साथ पंचायत के स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर प्राप्तियों सहित) शामिल होंगे। नगरपालिका अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गयी है कि नगरपालिका निधि, नगर निकाय द्वारा धारित होगी। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी धन के साथ–साथ नगर निकाय द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय जमा निधि –102–नगर निकाय निधि

[1] बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी, और कृषि विभाग।

में रखा जाता है। स्थानीय निधि का निकाय कोष एवं पंचायत निकाय कोष के अन्तर्गत जमा करने का विवरण **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: स्थानीय जमा निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष				2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
नगर निकाय कोष	(8448–102)	प्रारंभिक शेष	1	2,742.77	3,307.66	3,743.56	5,033.79	6,225.03
		प्राप्तियाँ	2	2,712.09	2,469.66	3,913.13	4,066.75	2,600.45
		व्यय	3	2,147.20	2,033.77	2,622.90	2,875.51	2,805.82
		अंत शेष	**4**	**3,307.66**	**3,743.56**	**5,033.79**	**6,225.03**	**6,019.66**
पंचायत निकाय कोष*	(8448–109)	प्रारंभिक शेष	5	631.61	650.49	754.98	852.58	756.29
		प्राप्तियाँ	6	735.54	374.78	556.49	228.82	143.34
		व्यय	7	716.67	270.29	458.89	325.11	189.34
		अंत शेष	**8**	**650.49**	**754.98**	**852.58**	**756.29**	**710.29**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
**जिला परिषद और पंचायत समिति निधि शामिल*

जैसा कि **तालिका 4.3** से देखा जा सकता है कि बिहार सरकार विगत पाँच वर्षों से राजस्व एवं पूँजीगत मुख्य शीर्ष खातों को डेबिट करके समेकित निधि से राशि को लोक निधि (विशेष रूप से जमा खातों) में हस्तांतरित करती रही है। हस्तांतरित राशि को उस वर्ष के लिए व्यय के रूप में लेखे में लिया जाता है चाहे वास्तविक व्यय संबंधित वर्ष के दौरान हुआ हो अथवा नहीं। पिछले कुछ वर्षों में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत तक जमा खाता (मुख्य शीर्ष 8448) में ₹ 26,927.43 करोड़ (**तालिका 4.4** में वर्णित) संग्रहित था। इसे संबंधित वर्षों में राजस्व या पूँजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जा चुका है, लेकिन जमा शीर्ष में अव्ययित पड़ा है।

तालिका 4.4: स्थानीय जमा निधि की अंतरित राशि का प्रवृति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			योग	मुख्य शीर्ष 8448 का अवशेष राशि
	वित्त लेखे के अनुसार राजस्व व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में अंतरित राशि	राशि की प्रतिशतता	वित्त लेखे के अनुसार पूँजीगत व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में अंतरित राशि	राशि की प्रतिशतता		
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+6)	9
2018-19	1,24,897	9,306	7.45	21,058	13,606	64.61	22,912	23,181.78
2019-20	1,26,017	14,531	11.53	12,304	11,314	91.95	25,845	24,942.26
2020-21	1,39,493	11,876	8.51	18,209	9,167	50.34	21,043	28,573.60
2021-22	1,59,220	12,454	7.82	23,678	10,565	44.62	23,019	26,561.64
2022-23	1,83,976	8,781	4.77	31,520	9,965	31.61	18,746	26,927.43

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बी0एल0सी0 आँकड़े)

वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक की अवधि में, स्थानीय निधियों के राजस्व व्यय में 5.64 प्रतिशत जबकि पूँजीगत व्यय में 26.76 प्रतिशत की कमी आई थी।

इसके अतिरिक्त विगत पाँच वर्षों के दौरान, पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज और मुख्य शीर्ष–8448 में अंतरित राशि 31 प्रतिशत से 91 प्रतिशत थी, जबकि राजस्व व्यय के रूप में दर्ज राशि चार से 11 प्रतिशत थी, जिससे निधि का अवरोधन हुआ। लोक लेखा की अव्यवहृत राशि, वास्तविक पूँजीगत व्यय के अतिकथन को इंगित करती है।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

4.5 उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

बिहार वित्तीय नियमावली (बी0एफ0आर0), 2005 के नियम 341 (2) के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय होने कि संभावना हो। बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 2011 के नियम 431 के तहत सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पूर्व अग्रिम धन का आहरण न हो। मार्च महीने में इन अनुदानों के सघन भुगतान के कोई भी अवसर नहीं होने चाहिए। आगे, वित्त विभाग के शासकीय आदेश (अक्टूबर 2011) द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की समय सीमा संस्वीकृति की तिथि से 18 माह तक निर्धारित की गई।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार को अप्राप्त, समाशोधन के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विवरणी **तालिका 4.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार को अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की वर्षवार विवरणी (31 मार्च 2023 तक)

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2016-17 तक	2708	16,702.88
2017-18	552	5,894.77
2018-19	630	10,019.52
2019-20	12429	18,330.29
01.04.2020 से 30.09.2021 तक	25436	37,000.42
कुल	**41755**	**87,947.88**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) द्वारा प्रदत्त सूचना)

** उल्लेखित वर्ष "लंबित वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 माह बाद।*

कुल ₹ 87,947.88 करोड़ में से, ₹ 16,702.88 करोड़ वर्ष 2016–17 के अवधि तक से संबंधित थे। पाँच मुख्य चूककर्ता विभागों में शिक्षा विभाग (₹ 26,692.78 करोड़) पंचायती राज विभाग (₹ 25,842.72 करोड़), शहरी विकास विभाग (₹ 12,204.16 करोड़), स्वास्थ्य विभाग (₹ 4,994.19 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹ 4,233.57 करोड़) थे, जैसा कि **चार्ट 4.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.2: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), को अप्राप्त विभागवार उपयोगिता प्रमाण पत्र

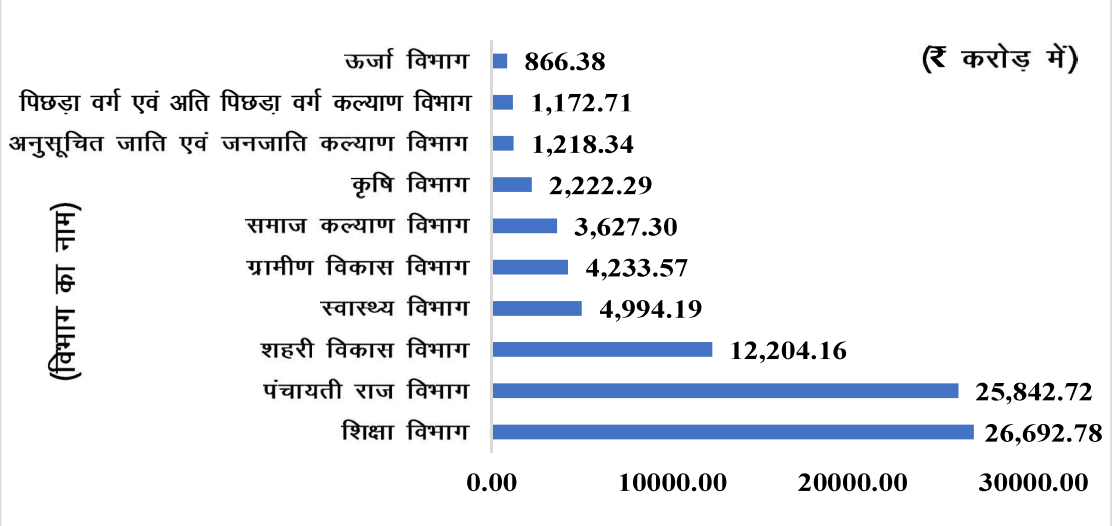

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

इसके अलावा, वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक की अवधि में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), को अप्राप्त श्रेणीवार सहायता–अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है: –

तालिका 4.6: वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक की अवधि में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), को अप्राप्त श्रेणीवार सहायता–अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन			परिसंपत्ति			वेतन और परिसंपत्ति के अलावा*		
	आहरित	समायोजित	शेष	आहरित	समायोजित	शेष	आहरित	समायोजित	शेष
2019-20	19,666.33	15,966.11	3,700.22	11,356.25	7,529.51	3,826.74	25,678.83	14,849.84	10,828.99
2020-21	17,788.65	13,556.19	4,232.46	10,358.02	6,581.74	3,776.28	29,577.33	15,416.70	14,160.63
2021-22 (09/2021 तक देय)	8,594.07	4,499.23	4,094.84	2,314.80	183.02	2,131.78	12,902.84	4,296.39	8,606.45
कुल	**46,049.05**	**34,021.53**	**12,027.52**	**24,029.07**	**14,294.27**	**9,734.80**	**68,159.00**	**34,562.93**	**33,596.07**

(स्रोतः ले0 एवं हक0 कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)
** छात्रवृति/वजीफा शामिल*

उपयोगिता प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में यह सुनिश्चित नहीं है कि वितरित निधि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया था। इसके अलावा, भारी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्रों का लंबित रहना गबन, दुर्विनियोजन और निधियों के विचलन के जोखिम को बढ़ाता है।

नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक के प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने जैसे मामले प्रकाशित किए जाते रहे हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान, ₹ 1,09,093.32 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र समायोजित किए गए।

वित्त विभाग (दिसंबर 2023) ने जवाब दिया कि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें नियमित अंतराल पर साप्ताहिक/मासिक आयोजित की जा रही थी, और मुख्य चूककर्ता विभागों को लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन के लिए समय–समय पर निर्देश जारी किए गए थे।

4.5.1 अनुदेयी संस्थाओं को "अन्य" अभिलेखित किया जाना

चूंकि, जी0 आई0 ए0 राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार अपने वार्षिक लेखों की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों का विवरण और स्वरूप प्रदान करे, जिन्हें निधि प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार से सहायता

अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को संस्थान कोड निर्दिष्ट करने के लिए एक तंत्र हैं। चूँकि राज्य सरकार ने सभी संस्थानों को संस्था कोड निर्दिष्ट नहीं किया था, जिससे इन अनुदानों को "अन्य" के रूप में दर्ज किया गया था, जिससे लेखे की पारदर्शिता प्रभावित हुई। इन अनुदानों को महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय में वाउचर लेवल कम्प्यूटरीकरण (वी0एल0सी0) प्रणाली में भी दर्ज किया जाता है और प्रत्येक संस्थान के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि की निगरानी की जाती है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल सहायता अनुदान ₹ 79,940.88 करोड़ में से ₹ 53,034.48 करोड़ (66-34 प्रतिशत) "अन्य" के रूप में दर्ज किया गया। विगत तीन वर्षों में "अन्य" के रूप में दर्शित सहायता अनुदान का कुल सहायता अनुदान की प्रतिशत प्रवृत्ति **चार्ट 4.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: अनुदेयी संस्थानों का "अन्य" के रूप में अभिलेखन

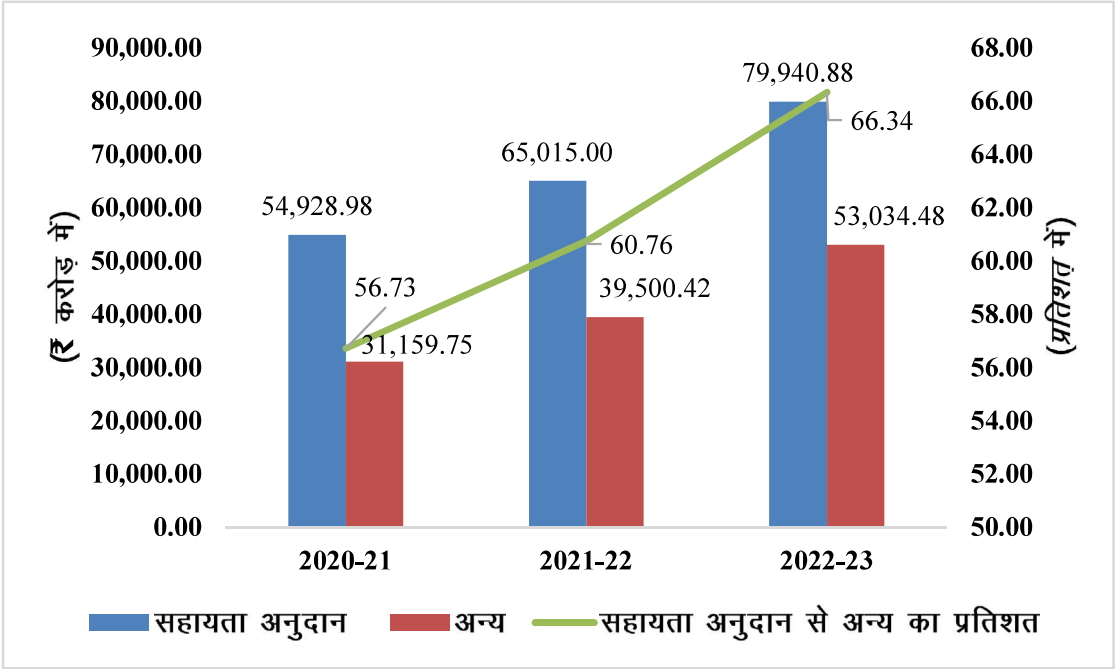

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों/निकायों/प्राधिकरणों को समुचित कोड निर्धारित नहीं किए जाने के कारण सभी संस्थाओं के विरुद्ध लंबित राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका, जिससे लेखे की पारदर्शिता प्रभावित हुई।

4.6 सार आकस्मिक (ए0 सी0) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 2011, के नियम 177 में यह प्रावधान है कि आहरण और संवितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित निधि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और अव्ययित राशि को उसी वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार में जमा करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बी0टी0सी0, 2011, के नियम 194 के अनुसार, जिस महीने में ए0सी0 विपत्र आहरित किया गया हो उसके अगले छः माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी0सी0) प्रस्तुत किया जाएगा। कोई भी सार आकस्मिक विपत्र का आहरण छः माह के बाद तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विस्तृत आकस्मिक विपत्र समर्पित नहीं कर दिया जाता। ए0सी0 विपत्रों के विरूद्ध डी0सी0 विपत्रों के समर्पित किए जाने की वर्षवार प्रगति **तालिका 4.7** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.7: ए0सी0 विपत्रों के विरूद्ध डी0सी0 विपत्रों के प्रस्तुत किए जाने की वर्षवार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष		जोड़े गये		समाशोधन		अंतशेष	
	डी0 सी0 विपत्रों की संख्या	राशि	डी0 सी0 विपत्रों की संख्या	राशि	डी0 सी0 विपत्रों की संख्या	राशि	डी0 सी0 विपत्रों की संख्या	राशि
2018-19 तक	12316	3,002.51	1453	631.50	1855	1,034.89	11914	2,599.12
2019-20	11914	2,599.12	5799	4,250.72	456	2,636.53	17257	4,213.31
2020-21	17257	4,213.31	6356	4,858.04	451	3,953.64	23162	5,117.71
2021-22	23162	5,117.71	3607	2,480.88	195	1,148.42	26574#	6,450.17
2022-23#	26574	6,450.17	842	1,053.79	24	14.91	27392	7,489.05

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े और वित्त लेखे, 2022–23)

नोटः सितंबर 2022 तक आहरित ए0सी0 विपत्रों पर आधारित।

 # पिछले वर्ष की तुलना में 646 ए0सी0 विपत्रों की वृद्धि, सितंबर 2021 के बाद के ए0सी0 विपत्रों के जुड़ने के कारण हुई है।

कुल अंतशेष ₹ 7,489.05 करोड़ में से ₹ 3,219.52 करोड़ (कुल बकाया का 42.99 प्रतिशत) पूँजीगत परिसंपत्ति के निर्माण से संबंधित है।

माह मार्च 2023 में ₹ 2,106.98 करोड़ (कुल आहरित 4382 ए0सी0 विपत्रों के ₹ 6,149.29 करोड़ का 34.26 प्रतिशत) के 1209 ए0सी0 विपत्र आहरित किए गए। मुख्य शीर्षवार लंबित डी0सी0 विपत्रों को **चार्ट 4.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4: मुख्य शीर्षवार लंबित डी0सी0 विपत्र

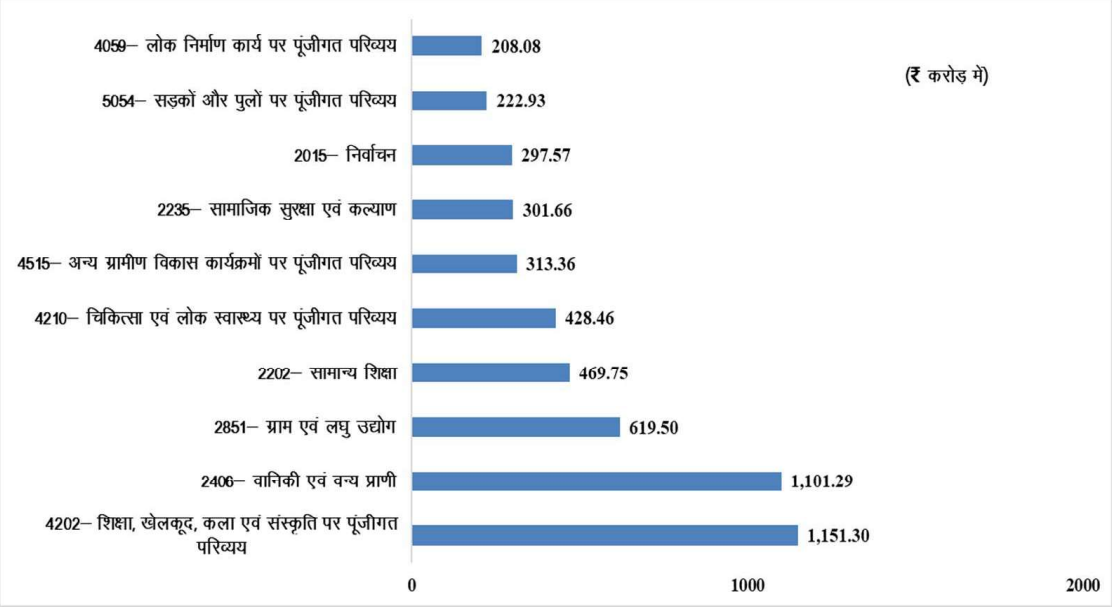

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

जैसा कि **चार्ट 4.4** में उल्लिखित है, लंबित डी0सी0 विपत्र मुख्य शीर्ष– 4202, 4210, 4059, 4515 और 5054 के अंतर्गत पूँजीगत परिव्यय से संबंधित थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में ए0सी0 विपत्रों के माध्यम से पूँजीगत परिसम्पत्ति निर्माण पर व्यय, लोक व्यय के कमजोर प्रबंधन को इंगित करता है। इससे यह भी इंगित होता है कि आहरण मुख्यतः बजटीय प्रावधानों को पूर्णतः प्रयोग करने के लिए किया जा रहा था। अग्रिमों का लंबी अवधि तक असमायोजित रहना दुर्विनियोजन के जोखिम से भरा होता है। वित्त विभाग

(दिसंबर 2023) ने जवाब दिया कि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें नियमित अंतराल पर साप्ताहिक/मासिक आयोजित की जा रही थी, और मुख्य चूककर्ता विभागों को लंबित ए0सी0 विपत्रों के समायोजन के लिए समय–समय पर निर्देश जारी किए गए थे।

निर्धारित समय के भीतर डी0सी0 विपत्र जमा न करना वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है और सार्वजनिक धन के दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

4.7 व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता

बी0टी0सी0, 2011, के नियम 339 में वर्णित है कि महालेखाकार को सूचना देते हुए, वित्त विभाग के लिखित प्राधिकार के बिना, कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता कोषागार में नहीं खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियम 340(बी) में कहा गया है कि इस खाते का उपयोग केवल उन विशेष मामलों के लिए किया जाएगा, जहां सार्वजनिक हित में व्यय का प्रवाह सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव नहीं होती है या बड़ी संख्या में छोटे लाभार्थी होते हैं जो कि दूर–दराज बिखरे हुए हों, जिन्हें कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष संवितरण व्यावहारिक नहीं हो। पी0डी0 खातों में समेकित निधि से किया गया हस्तांतरण संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अंतिम व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। पी0डी0 प्रशासकों को वित्तीय वर्ष के अंत में सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करने और लगातार पाँच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष, जिसमें धन आहरण किया गया था को मिलाकर)[2] तक अव्ययित राशि को सेवा शीर्ष के व्यय में कमी कर समेकित निधि को हस्तांतरित करना आवश्यक है।

वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना[3] के अनुसार, दिनांक 01.04.2019 से पहले खोले गए सभी पी0डी0/व्यक्तिगत बही (पी0एल0) खातों को दिनांक 01.04.2019 को सी0एफ0एम0एस0 में खोला हुआ माना जाएगा और पी0डी0/पी0एल0 खातों में अप्रयुक्त राशि बाद के पाँच वर्षों में व्यपगत हो जाएगी। इस प्रकार निष्क्रिय पी0डी0 खातों की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाएगा।

मार्च 2023 के अंत में 242 प्रशासकों के पास ₹ 3,858.05 करोड़ की राशि पड़ी थी, जैसा कि **तालिका 4.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार वर्ष 2022–23 के दौरान पी0डी0 खातों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

01.04.2022 को आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान जोड़		वर्ष के दौरान समापन		31.03.2023 को अंत शेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
212[$]	4,040.21	32	1,229.60[@]	02	1,411.76[@]	242 [$]	3,858.05*

(स्रोतः वित्त लेखे, 2022–23)

टिप्पणी–

[$] ₹ 1.54 करोड़ की शेष राशि वाले 05 पी0डी0 खातों को सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित किया जाना बाकी था जो 242 पी0डी0 खातों के अतिरिक्त हैं।

[@] सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार वर्ष के दौरान ₹ 1,229.60 करोड़ की प्राप्ति और ₹ 1,411.76 करोड़ का भुगतान प्लस माइनस मेमो में दर्शाया गया था। हालाँकि दो बंद पी0डी0 खातों में कोई शेष नहीं था।

[*] मुख्य शीर्ष– 8443–106 के अंतर्गत विवरणी संख्या 21 में दर्शाए गए ₹ 8.01 करोड़ के अंतर का समाशोधन प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्त के अलावा, ₹ 1.54 करोड़ की शेष राशि वाले 05 पी0डी0 खातों को सी0एफ0एम0एस0 के कार्यान्वयन के चार वर्षों से अधिक समय के बाद भी सी0टी0एम0आई0एस0 से सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित नहीं किया गया था।

---

[2] बिहार सरकार की अधिसूचना सं0 6679 दिनांक 23.08.2016।

[3] अधिसूचना सं0. एम0–4–02/2020–2916/एफ0 दिनांकः 03.06.2020।

विगत पाँच वर्षों के अंत में पी0डी0 खातों में अंतशेष की राशि की प्रवृत्ति **चार्ट 4.5** में विस्तृत है।

चार्ट 4.5: 2018–19 से 2022–23 के दौरान पी0डी0 खातों में अंत शेष

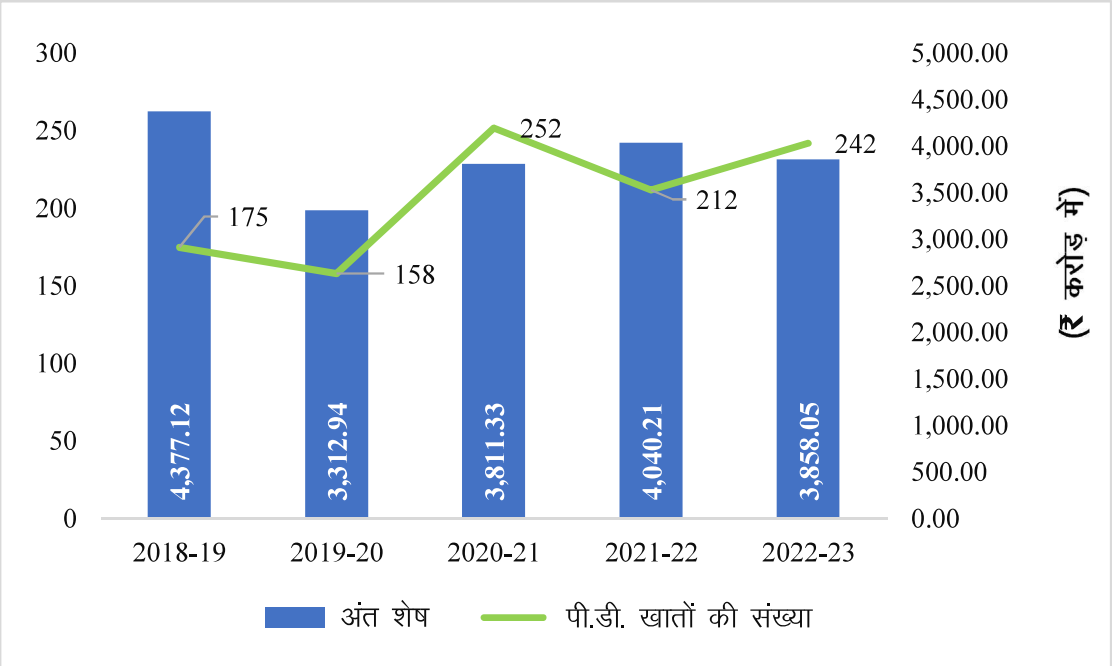

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

4.8 लघु शीर्ष "800" का अनुचित प्रयोग

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष "800" के नियमित व्यवहार को निरूत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह शीर्ष, संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को नहीं दर्शाता है फलतः लेखे की पारदर्शिता को प्रभावित करता है। वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 2,15,496 करोड़ के कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय में से लघु शीर्ष "800" के माध्यम से ₹ 252.04 करोड़ (0.12 प्रतिशत) का व्यय किया गया। कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 1,72,688 करोड़ में से ₹ 732.44 करोड़ (0.42 प्रतिशत) की प्राप्ति लघु शीर्ष "800" में नामित की गई थी। लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यय और प्राप्तियां (50 प्रतिशत एवं अधिक) क्रमशः **तालिका 4.9** और **तालिका 4.10** में उल्लिखित हैं।

तालिका 4.9: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लघु शीर्ष 800 – "अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण व्यय (50 प्रतिशत एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में व्यय का प्रतिशत
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	28.33	23.84	84.15
2	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	235.11	202.78	86.25

(स्रोत: महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

तालिका 4.10: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लघु शीर्ष ''800'' – "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियां (50 प्रतिशत एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के अनुपात में लघु शीर्ष "800" में प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	642.03	363.98	56.69
2	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	301.34	193.15	64.10
3	0230	श्रम एवं रोजगार	10.75	6.75	62.77
4	0401	फसल कृषि कर्म	5.42	3.93	72.51
5	0851	ग्राम और लघु उद्योग	0.01	0.01	100.00
6	0852	उद्योग	0.41	0.40	99.32
7	1053	नागरिक उड्डयन	1.43	1.42	99.77
8	1456	सिविल आपूर्ति	0.10	0.10	100.00

(स्रोतः वित्त लेखे, 2022–23 तथा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

इसके अलावा, वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत व्यय ₹ 120.65 करोड़ से बढ़कर ₹ 252.04 करोड़ तथा प्राप्तियाँ ₹ 1,460.41 करोड़ से घटकर ₹ 732.44 करोड़ हो गई थी, जैसा कि **चार्ट 4.6** और **चार्ट 4.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.6 : वित्त वर्ष 2018–23 के दौरान लघु शीर्ष 800–"अन्य व्यय" का संचालन

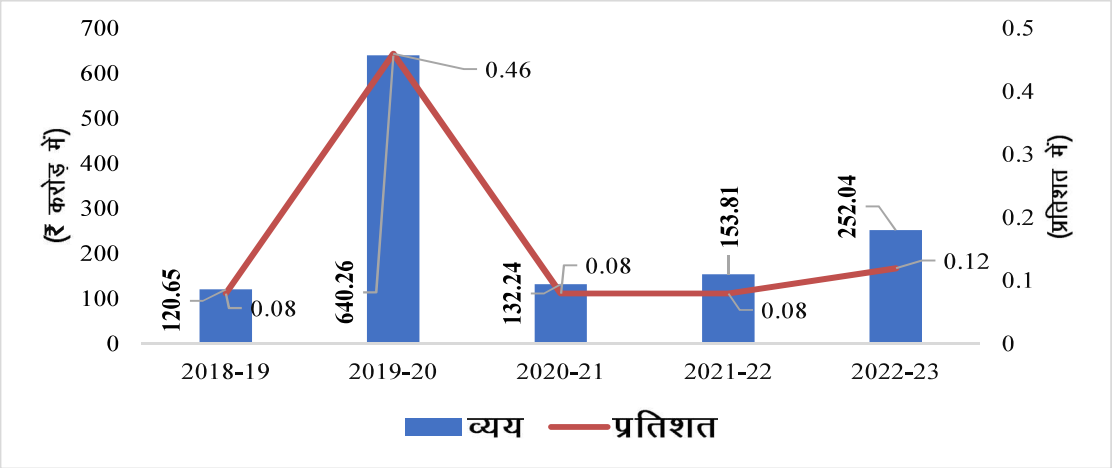

(स्रोतः वित्त लेखे, 2018–19 से 2022–23)

चार्ट 4.7: वित्त वर्ष 2018–23 के दौरान लघु शीर्ष 800–"अन्य प्राप्तियाँ" का संचालन

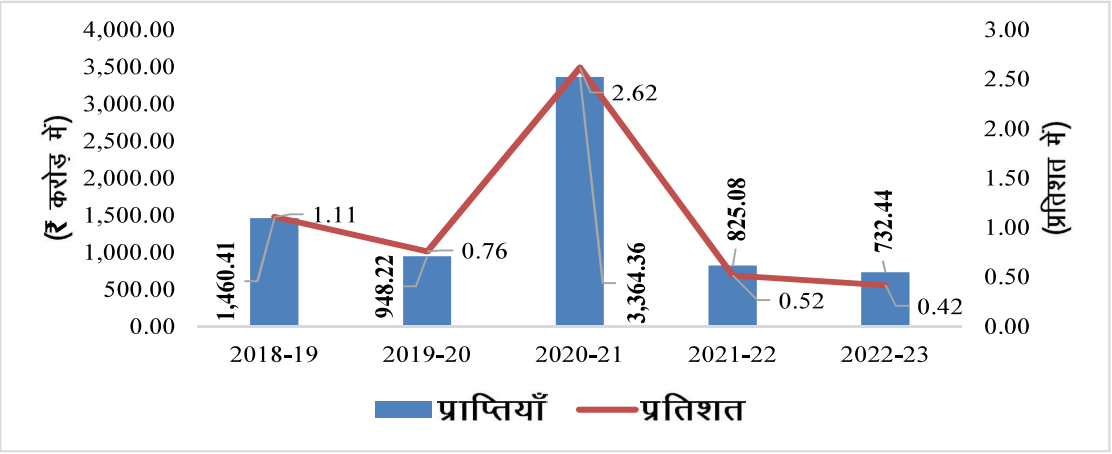

(स्रोतः वित्त लेखे, 2018–19 से 2022–23)

वर्ष 2022–23 के दौरान, लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत वृहत व्यय, मुख्य शीर्ष 5475– अन्य समाजिक आर्थिक सेवांओं पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 202.78 करोड़) और 2250– अन्य सामाजिक सेवाएँ (₹ 23.84 करोड़) और वृहत प्राप्तियाँ मुख्य शीर्ष 0049– ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 363.98 करोड़) और 0070– अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (₹ 193.15 करोड़) के अंतर्गत नामित की गयी थी।

राजकोषीय बुद्धिमता के अनुसार, लघु शीर्ष '800' का उपयोग केवल उन्हीं प्राप्तियों और व्यय के लिए किया जाना है जो अनावर्ती हों और तत्काल लेखा शीर्ष, जिसके तहत इसे नामित किया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध नहीं हों।

लघु शीर्ष 800–"अन्य प्राप्तियाँ" एवं "अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियों तथा व्यय के काल–क्रम आँकड़े **तालिका 4.11** और **तालिका 4.12** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4.11: काल–क्रम आँकड़े जहां लघु शीर्ष '800' "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ नामित की गई थीं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	261.57	478.10	3,063.65	531.27	363.98
2	0230	श्रम और रोजगार	12.41	7.76	7.98	10.14	6.75
3	0401	फसल कृषि कर्म	6.89	5.97	4.71	4.42	3.93
4	1053	नागरिक उड्डयन	6.50	1.58	3.13	2.24	1.42

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 4.12: काल–क्रम आँकड़े जहां महत्वपूर्ण व्यय लघु शीर्ष "800"– "अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित किए गए थे

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	5.04	21.25	17.01	49.26	23.84

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

आगे, वर्ष 2022–23 के दौरान, यह पाया गया कि कुछ मुख्य शीर्षों की महत्वपूर्ण राशि लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत नामित की गई थी, जो कुल व्यय/प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम थी, जैसा कि **तालिका 4.13** और **तालिका 4.14** में दर्शाया गया है :

तालिका 4.13: लघु शीर्ष ''800'' के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में व्यय का प्रतिशत
2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,939.40	16.09	0.83

(स्रोतः वित्त लेखे, 2022–23)

तालिका 4.14: लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0030	मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	6,451.06	21.09	0.33
2	0041	अन्य प्राप्तियाँ	2,935.47	10.35	0.35

(स्रोतः वित्त लेखे, 2022–23)

लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्राप्तियों का लगातार नामित करना, न केवल संव्यवहार की प्रकृति और पारदर्शिता को प्रभावित करता है, बल्कि लेखों को अपारदर्शी बना देता है।

परिमाणात्मक मामले

4.9 मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष

कतिपय मध्यवर्गी/समायोजन लेखा शीर्ष जो 8658– उचंत शीर्ष के नाम से जाने जाते हैं, सरकारी लेखे में प्राप्तियों एवं व्यय के वैसे लेन देन को प्रदर्शित करने के लिए संचालित होते हैं जिसे उसकी प्रकृति की जानकारी न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से सुनिश्चित लेखा शीर्ष में अंकित नहीं किया जा सकता है।

वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित नामे तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल राशि **तालिका 4.15** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.15: उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2020-21		2021-22		2022-23	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
मुख्य शीर्ष 8658–उचंत						
101–पी0ए0ओ0 उचंत	313.90	0	365.08	0.00	641.14	280.41
निवल	नामे 313.90		नामे 365.08		नामे 360.73	
102– उचंत लेखा सिविल	15,598.70	1,070.92	16,195.57	1,409.66	14,109.96	277.76
निवल	नामे 14,527.78		नामे 14,785.91		नामे 13,832.20	
107–नकदी सामंजन उचंत लेखा	0	32.29	0	32.29	0	32.29
निवल	जमा 32.29		जमा 32.29		जमा 32.29	
109–रिजर्व बैंक उचंत–मुख्यालय	262.64	0	261.71	(-) 0.01	257.16	(-) 0.24
निवल	नामे 262.64		नामे 261.72		नामे 257.40	
110–रिजर्व बैंक उचंत सी0ए0ओ0	1,501.24	895.64	1,249.60	894.62	358.24	(-) 0.02
निवल	नामे 605.60		नामे 354.98		नामे 358.26	
112–स्रोत पर कर कटौती उचंत (टी0डी0एस0)	994.38	1,459.04	1,572.73	1,857.17	1,279.66	1,805.05
निवल	जमा 464.66		जमा 284.44		जमा 525.39	
123–अ0भा0से0 ऑफिसर्स समूह बीमा योजना	0.27	6.24	0.44	6.04	0.32	5.66
निवल	जमा 5.97		जमा 5.60		जमा 5.34	
मुख्य शीर्ष 8782–नकद प्रेषण						
102–पी0 डब्ल्यू0 प्रेषण	16,749.16	15,837.54	16,754.96	15,835.85	919.11	0
निवल	नामे 911.62		नामे 919.11		नामे 919.11	
103–वन प्रेषण	3,147.35	2,943.86	3,147.44	2,943.90	203.54	0
निवल	नामे 203.49		नामे 203.54		नामे 203.54	

(स्रोतः वित्त लेखे 2020–21 से 2022–23)

वेतन और लेखा कार्यालय उचंत (पी0ए0ओ0 उचंत) – यह शीर्ष महालेखाकार (ले0 एवं हक0) और भारत सरकार के विभिन्न पी0ए0ओ0 कार्यालयों के बीच लेनदेन के निपटान के लिए है। महालेखाकार की पुस्तकों में इस मद के अंतर्गत शुरू में दर्ज लेनदेन को पी0ए0ओ0 से चेक/डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने और पी0ए0ओ0 की ओर से राज्य कोषागारों में प्राप्त राशि के संबंध में चेक/डिमांड ड्राफ्ट जारी करने पर मंजूरी दी जाती है। इस मद के अंतर्गत बकाया नामे शेष राशि का मतलब होगा कि पी0ए0ओ0 की ओर से महालेखाकार द्वारा किए गए भुगतान अभी तक वसूल

नहीं किए गए थे। बकाया जमा शेष का मतलब होगा कि पी0ए0ओ0 की ओर से महालेखाकार द्वारा प्राप्त राशि का भुगतान किया जाना बाकी था। इस मद के अंतर्गत निवल नामे शेष एक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसकी मंजूरी/निपटान पर राज्य सरकार की नकदी शेष राशि में वृद्धि होगी। यह लेनदेन मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, दिल्ली के साथ दावों में कमी से संबंधित हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत में इस मद में ₹ 360.73 करोड़ का नामे शेष था।

उचंत लेखा (सिविल) – इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया आँकड़ों का एक बड़ा भाग ऐसे लेन–देन जहां वर्गीकरण का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है या जहां उसके समर्थन में प्रासंगिक अभिश्रव/अनुसूचियां उपलब्ध नहीं हैं या जहां भुगतान/नकद खातों की कोषागार अनुसूची में रिपोर्ट किए गए आँकड़ों और सहायक अभिश्रव, अनुसूची आदि में दिखाई देने वाले आँकड़ों के बीच कुछ विसंगति हैं। रेलवे, रक्षा, डाक और दूरसंचार विभागों इन प्राधिकरणों द्वारा दावों का निपटान निलंबित रहने के कारण होने वाले लेनदेन को भी शुरू में इस मद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) ने वर्ष 2022–23 के दौरान, ₹ 2,725.00 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 873.05 करोड़ और पूँजीगत व्यय ₹ 1,851.95 करोड़) की राशि के 11400 अभिश्रवों पर आपत्ति उठाई। स्वीकृति आदेश/पेंशन भुगतान दस्तावेज/चलंत विपत्र/सहायक–अभिश्रव आदि की अनुपलब्धता के कारण इन अभिश्रवों को उचंत लेखे में रखा गया हैं। पिछले वर्षो से संबंधित ₹ 3,713.42 करोड़ (राजस्वः ₹ 2,206.05 करोड़ और पूँजीगतः ₹ 1,507.37 करोड़) के ओ0 बी0 उचंत का समाशोधन 2022–23 के दौरान किया गया। इस प्रकार, ₹ 988.42 करोड़ के निवल व्यय (₹ 1,333.00 करोड़ के राजस्व व्यय को अधिक और ₹ 344.58 करोड़ के पूँजीगत व्यय को कम बताया गया) को अधिक प्रदर्शित किया गया। मार्च 2023 के अंत में, 8658–102– उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत प्रगामी शेष राशि ₹ 13,832.20 करोड़ थी।

इस मद के अंतर्गत बकाया नामे शेष राशि का मतलब वैसे भुगतान से है जिन्हें विवरण के अभाव में अंतिम व्यय मद में नामे नहीं किया जा सकता था। बकाया जमा शेष का मतलब वैसी प्राप्तियों से है जिन्हें विवरण के अभाव में अंतिम रूप से प्राप्ति मद में जमा नहीं किया जा सकता था।

नकदी सामंजन उचंत लेखे – एक ही वेतन और लेखा अधिकारी को लेखा समर्पित करने वाले लोक निर्माण प्रमंडलों के बीच लेन–देनों के निपटान के लिए लघु शीर्षों का उपयोग किया जाता है एवं इनका संचालन/संधारण संकलित लेखा प्राप्त करने वाले वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष को प्रारंभ में एक कार्य प्रभाग द्वारा अस्थायी शीर्ष के रूप में संचालित किया जाता है जो शीर्ष को जमा करके किसी अन्य कार्य प्रभाग को सेवाएं प्रदान/आपूर्ति करता है। शीर्ष को तब जमा किया जाता है जब एक प्रमंडल दूसरे प्रमंडल की ओर से कुछ प्राप्तियों/राजस्व को स्वीकार करता है। बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होने या चेक/बैंक ड्राफ्ट जारी होने पर शीर्ष को नामे/जमा किया जाता है या चेक/बैंक ड्राफ्ट किसी अन्य प्रमंडल को/से जारी किया जाता है, जैसा भी मामला हो। 31 मार्च 2023 तक इस मद में जमा शेष ₹ 32.29 करोड़ जो काफी लंबी अवधि से पड़े थे।

रिजर्व बैंक उचंत, केंद्रीय लेखा कार्यालय – जहां दो सरकारों के बीच नकद शेषों का निपटान भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) के केंद्रीय लेखा अनुभाग को एडवाइस प्रेषित किया जाता है, वहाँ इस शीर्ष का उपयोग इस प्रकार के लेन देनों को लेखांकित करने के लिए किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनके मौद्रिक निपटान कर दिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित शीर्ष में राशि का अंतरण कर इस शीर्ष का समाशोधन/सामंजन किया जाता है। भारत सरकार के प्राप्त अनुदान/ऋण एवं उनके पुनर्भुगतान, आर0बी0आई0 के लोक ऋण कार्यालयों द्वारा भुगतान

की गई प्रतिभूतियों एवं उनपर देय ब्याज तथा आपूर्ति और निपटान महानिदेशक द्वारा सरकारी कार्यालयों को की गई आपूर्तियों के विरूद्ध किए गए भुगतान इस उचंत शीर्ष के माध्यम से निपटाए जाने वाले मुख्य लेनदेन हैं।

2022–23 के दौरान, इस मद के अंतर्गत नामे शेष पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3.28 करोड़ बढ़ने के बाद ₹ 358.26 करोड़ था।

लोक निर्माण प्रेषण – यह शीर्ष लोक निर्माण कार्यों के संभागीय अधिकारियों द्वारा कोषागार को प्रेषित राशि को स्वीकार किया जाता है या नहीं इसकी निगरानी के लिए संचालित किया जाता है। वर्ष 2022–23 के अंत में प्रमंडल कार्यालयों और कोषागारों के बीच समाशोधन नहीं होने के कारण ₹ 919.11 करोड़ की नामे शेष थी।

वन प्रेषण – वन प्रमंडलों द्वारा वन राजस्व के संग्रहण और राजकोष में उनका प्रेषण प्रारंभ में इस शीर्ष के अंतर्गत होता है। इस शीर्ष के अंतर्गत नामे शेष राशि का कोषागार खातों में दिखाई देने वाले जमा द्वारा निपटान किया जाता है जब प्रेषण को कोषागार अधिकारियों द्वारा स्वीकृत एवं लेखांकित किए जाते हैं। राजस्व की वास्तविक प्राप्ति और राजकोष में इसके प्रेषण के बीच समय अंतराल के कारण, इस शीर्ष के अंतर्गत प्रमंडलीय लेखे में दिखाई देने वाले जमा तब तक दिखाई देते रहेंगे जब तक कि किए गए प्रेषण का अंतिम रूप से कोषागार खातों में निपटान नहीं हो जाता है। 31 मार्च 2023 तक, इस शीर्ष में ₹ 203.54 करोड़ की नामे शेष थी।

उचंत और प्रेषण मदों का सामंजन/निपटान राज्य कोषागारों (कार्य और वन प्रभागों आदि सहित) द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरे पर निर्भर करती है। यदि ये असामंजित रह जाती है, तो उचंत शीर्ष के अंतर्गत राशि का संचयन हो जाएगा और यह राजकीय व्यय की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रतिविंबित नहीं कर पाएगी।

4.10 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

बिहार बजट संहिता, 2016 की कंडिका 96 के अनुसार, नियंत्री अधिकारियों को महालेखाकार के लेखे में दर्ज आँकड़ों के साथ अपने मासिक/त्रैमासिक ऑकड़ों का मिलान करना आवश्यक है।

सी0एफ0एम0एस0 में ऑनलाइन समाशोधन मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया था। इसलिए, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखे के संव्यवहार को राज्य सरकार के अनुदान नियंत्री अधिकारियों द्वारा किए गए संव्यवहार के लेखे के साथ समाशोधन करने के लिए, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय मासिक लेखे में शामिल संव्यवहार से संबंधित डेटा डंप फाइल सुरक्षित फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल (एस0एफ0टी0पी0[4]), उपयोगिता का उपयोग करके सी0एफ0एम0एस0 मुख्य सर्वर में अपलोड करता है। यहाँ, महालेखाकार के संव्यवहार के आँकड़ों का मिलान सी0एफ0एम0एस0 के आँकड़ों से किया जाता है, और विभागवार समाशोधन प्रतिवेदन तैयार किया जाता है (सी0एफ0एम0एस0 में)। यह प्रतिवेदन सारे विभागों के एडमिन उपयोगकर्ता के साथ–साथ महालेखाकार (ले0 एवं हक0) एडमिन उपयोगकर्ता के लिए भी उपलब्ध रहता है। सभी विभागों के एडमिन उपयोगकर्ता समाशोधन प्रतिवेदन तैयार कर महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को भेजते हैं।

46 अनुदान नियंत्री विभागों में से केवल 20 विभागों ने समाशोधन प्रतिवेदन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को उपलब्ध कराया।

विगत तीन वर्षों के दौरान विभागीय संव्यवहारों के असमाशोधन की स्थिति को **चार्ट 4.8** में दर्शाया गया है।

[4] एस0एफ0टी0पी0– यह एक सुरक्षित फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल है जो उच्च स्तर की सुरक्षा के साथ फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए सुरक्षित शेल एन्क्रिप्शन का उपयोग करता हैं।

चार्ट 4.8: विगत तीन वर्षों के दौरान असमाशोधन की स्थिति

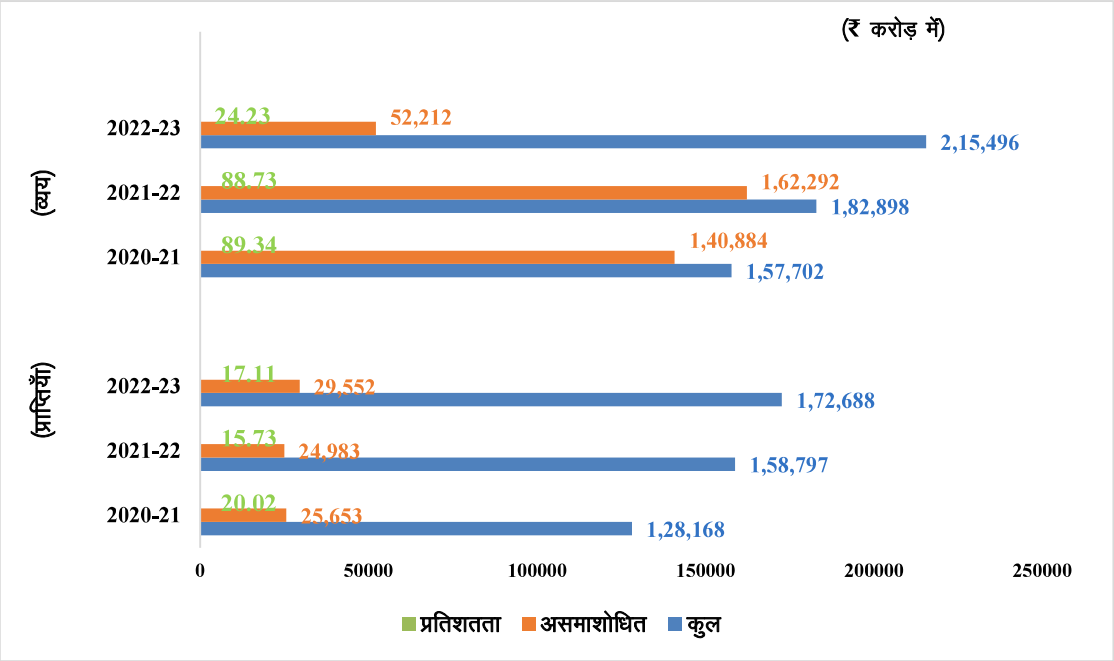

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं ले0 एवं हक0 कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

जैसा कि **चार्ट 4.8** मे देखा जा सकता हैं, राज्य सरकार ने कुल प्राप्तियों का 17.11 *प्रतिशत* तथा कुल व्यय का 24.23 *प्रतिशत* समाशोधित नहीं किया। लेखों का समाशोधन न करने से लेखों में दर्शायी गई प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों की पूर्णता और सत्यता के आश्वासन पर प्रभाव पड़ता है। सांहित्तिक प्रावधानों तथा कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल गलत वर्गीकरण हुआ बल्कि बजटीय प्रक्रिया का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ।

4.11 नकद शेष का समाशोधन

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखे में दर्ज राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) द्वारा प्रतिवेदित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

हालांकि, 31 मार्च 2023 को नकद शेष, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के अभिलेख के अनुसार, ₹ 805.90 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 193.62 करोड़ (जमा) था। इस प्रकार, ₹ 612.28 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर था, जिसका मुख्य कारण लेन देनों का गलत प्रतिवेदन तथा एजेंसी बैंकों द्वारा समाशोधन नहीं किया जाना था। यह अंतर समाशोधन के अधीन था।

4.12 लोक लेखा के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष तब उत्पन्न होता है जब लेन–देन को नामे करने के बजाय गलती से जमा अथवा इसके विपरीत कर दिया जाता है। वर्ष 2022–23 के वित्त लेखे में सम्मिलित लोक लेखा शीर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रतिकूल शेष को नीचे **तालिका 4.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.16: 2022–23 के दौरान लोक लेखा के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	ऋणात्मक शेष
8011	बीमा और पेंशन निधि	(-) 99.71
8336	सिविल जमा	(-) 0.55

(स्रोत: वित्त लेखे, 2022–23)

ये ऋणात्मक शेष महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय और राज्य सरकार के बीच समाशोधन के अधीन थे।

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

4.13 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नि0म0ले0प0) की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखे का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त भारत के नि0म0ले0प0 ने जवाबदेही तंत्र को सुदृढ करने एवं सरकारी लेखा और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जी0ए0एस0ए0बी0) की स्थापना की थी। नि0म0ले0प0 की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई0जी0ए0एस0) अधिसूचित किए हैं। लेखांकन मानकों का अनुपालन **तालिका 4.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.17: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्रम सं0	लेखांकन मानक	आई0जी0ए0एस0 का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई0जी0ए0एस0– 1: सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूतियाँ –प्रकटीकरण आवश्यकता	• प्रतिभूतियों का एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करना • वर्गवार एवं प्रक्षेत्रवार प्रकटीकरण	• वित लेखे में विवरणी 9 एवं 20 तैयार किये गये थे। चूँकि राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विवरण वर्गवार एवं क्षेत्रवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, फलतः प्रकटीकरण अपूर्ण रहा। कुछ महत्वपूर्ण सूचना जैसे, वर्ष के दौरान लागू प्रतिभूति, ब्याज, प्रतिभूति, कमीशन शुल्क आदि अपूर्ण रहीं।	• सभी प्रत्याभूतिदाता, राज्य सरकार के विभाग और वर्ष के दौरान दी गयी प्रतिभूतियों का पता नहीं लगाया जा सका।
2.	आई0जी0ए0एस0– 2: सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	• प्रदाता अथवा अनुदेयी दोनों के रूप में सहायता अनुदान का वर्गीकरण और लेखांकन	• वित्त लेखे में विवरणी 10 तैयार की गयी थी। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान की विस्तृत सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।	• वस्तु के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका। गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व घाटा कम तथा पूँजीगत व्यय को अधिक बताया गया।
3.	आई0जी0ए0एस0– 3: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	• ऋण एवं अग्रिम के संबंध में मान्यता, माप, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग • पूर्ण, सटीक और एकसमान लेखांकन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए, • ऋणों एवं अग्रिमों पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए	• वित्त लेखे में विवरणी 7 और 18 तैयार की गई थी। हालाँकि, उपरोक्त विवरणी में दर्शाए गए अंतशेष का समाशोधन ऋण इकाई/ राज्य सरकार के साथ नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने कुछ ऋण एवं अग्रिम के आँकड़े भी उपलब्ध नहीं कराए। • संबंधित सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया फलतः "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "अवसूलनीय ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला जाना" और "ऋण के वैसे मामले जिन्हें सर्वकालिक ऋण के रूप में मंजूरी दी गई" का प्रकटीकरण नहीं किया जा सका।	• राज्य सरकार द्वारा संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी फलतः "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "अवसूलनीय ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला जाना" और "ऋण के वैसे मामले जिन्हें सर्वकालिक ऋण के रूप में मंजूरी दी गई" को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(स्रोतः वित्त लेखे 2022–23)

लेखा मानकों का गैर–अनुपालन वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता को बाधित करने के अलावा वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह की एक सच्ची और निष्पक्ष दृष्टिकोण, को प्रस्तुत करने के उद्देश्य को प्रभावित करेगा।

बिना सलाह के लेखे के नए उप–शीर्षों का खोला जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, राज्य के लेखा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सम्मति के अनुरूप उचित रूप में रखा जाना है। वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह लिए बिना बजट में सात नए उप–शीर्ष (राजस्व शीर्ष के अंतर्गत चार और पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत तीन) खोल दिए। राज्य सरकार ने इन शीर्षों में बजटीय प्रावधान प्रदान किए और ₹ 17.65 करोड़ (₹ 13.17 करोड़ राजस्व व्यय के अंतर्गत और ₹ 4.48 करोड़ पूँजीगत व्यय के अंतर्गत) व्यय किया, जैसा कि **तालिका 4.18** में दर्शाया गया है।

तालिका: 4.18 नए खोले गए उप–शीर्षों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	विपत्र कोड	किया गया व्यय
1.	राजस्व	2059-01-053-0032	0.48
2.		2202-02-191-0004	0.13
		2202-02-192-0004	0.10
		2202-02-193-0004	0.03
		2202-02-196-0004	1.18
3.		2202-03-112-0005	11.25
4.		2210-02-001-0101	0.00
5.	पूँजीगत	5055-00-051-0104	2.76
6.		5055-00-051-0105	1.72
7.		5055-00-051-0106	0.00
		कुल	**17.65**

(स्रोत: वित्त लेखे, 2022–23)

4.14 एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता जिनके लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 और 395 में प्रावधान है कि किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीने के अंदर तैयार की जानी है। ऐसे प्रतिवेदन तैयार हो जाने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधायिका के समक्ष, नि0म0ले0प0 के द्वारा लेखापरीक्षा के पूरक पर की गयी टिप्पणी तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। उपरोक्त तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों और निगमों में निवेश किये गये लोकधन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

राज्य सरकार ने 17 कार्यशील एस0पी0एस0ई0, एक सांविधिक निगम और 15 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे 31 मार्च 2023 तक (31 अगस्त 2023 के) अंतिमीकृत नहीं किये गये थे, को ₹ 51,582.85 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश पूँजी, ऋण, प्रतिभूति, पूँजीगत अनुदान और अन्य) प्रदान की। इन एस0पी0एस0ई0 ने कंपनी अधिनियम/संबंधित सांविधिक निगमों के अधिनियम/एस0पी0एस0ई0 के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 45 वर्षों तक अपने लेखें को अंतिम रूप नहीं दिया था **(परिशिष्ट 4.1)**।

लेखें के अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0), कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं वैसे निगमों की सांविधिक लेखापरीक्षा, जैसा कि उनके अधिनियम में वर्णित है, करने मे असमर्थ हैं। लेखें को समय पर अंतिम रूप देने के

अभाव में, सरकार के निवेश के परिणाम राज्य विधायिका के दायरे से बाहर रहते हैं और लेखापरीक्षा की जांच से बच जाते हैं। परिणामस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, समय पर नहीं किए जा सकते हैं। धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता हैं।

4.15 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नि0म0ले0प0 (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें विधान सभा हो, का प्रशासक, जब उसकी यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तब नि0म0ले0प0 से अनुरोध करगा कि वह यथास्थिति, राज्य के या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करे और जब ऐसा अनुरोध किया गया हो तब, नि0म0ले0प0 ऐसे निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उसे निगम के लेखे और बहियों तक पहुंच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा नि0म0ले0प0 को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहां यदि, उससे, यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा हो, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया हो तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा ऐसे नियम एवं शर्तों के अधीन करेगा जिसपर उसके और संबद्ध सरकार के बीच सहमति हो और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखे तक उसे पहुंच का अधिकार होगा (धारा 20)।

बिहार राज्य के 57 निकायों/प्राधिकरणों में से 49 निकायों/प्राधिकरणों (**परिशिष्ट 4.2**) ने कभी भी लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकृत नहीं किया था। शेष आठ निकायों/प्राधिकरणों के बकाया लेखों का विवरण तथा प्राधिकृत किए जाने की स्थिति **तालिका 4.19** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.19: प्राधिकरणों और निगमों के बकाया लेखे

क्रम सं.	निकाय अथवा प्राधिकरण का नाम	प्राधिकार प्राप्त	लंबित लेखे का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2022–23 तक लंबित लेखे की सं0	अभियुक्ति
1.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	वर्ष 2012–13 से 05 वर्षों के लिए।	शून्य	शून्य	–
2.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2021–22 तक।	2020-21 से 2022-23	03	–
3.	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	–	2010-11 से 2022-23	13	–
4.	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	–	2016-17 से 2022-23	07	–
5.	बिहार विद्युत विनियामक आयोग	–	2021-22 से 2022-23	02	वित्तीय वर्ष 2020–21 तक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया।
6.	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बी0एस0ए0एल0एस0ए0)	–	2021-22 से 2022-23	02	
7.	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	2017-18 से 2021-22	2016-17, 2020-21 से 2022-23	04	हालाँकि, वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक के लेखे प्राप्त हुए हैं लेकिन लेखापरीक्षा किया जाना अभी बाकी हैं।
8.	भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण		2019-20 से 2022-23	04	

(स्रोतः संबंधित इकाईयों द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

लेखों को अंतिम रूप न देने के कारण हितधारक इन निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने में सक्षम नहीं थे। लेखों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब से संबंधित विधायी प्रावधान, जिनके अंतर्गत इन निकायों का गठन किया गया था, के उल्लंघन के अलावा वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं चलने का जोखिम भी रहता हैं।

4.16 लेखे की गुणवत्ता और समयबद्धता

बिहार सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखों को 43 कोषागारों एवं अन्य लेखा प्रतिपादक इकाइयों (ए0आर0यू0) द्वारा प्रस्तुत आरंभिक लेखों के आधार पर संकलित किया गया था। सी0एफ0एम0एस0 (अप्रैल 2019) के कार्यान्वयन के बाद बिहार सरकार ने लोक निर्माण प्रभागों और वन प्रभागों के लेखे की प्रतियाँ महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को भेजना बंद कर दिया था और संव्यवहारों को कोषागारों के माध्यम से दर्ज किया जा रहा था।

ये लेखे 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए बिहार सरकार के वित्तीय संव्यवहार को प्रस्तुत करते हैं। मासिक लेखे प्रस्तुत करने में 01 से 42 दिनों का विलंब था।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि वर्ष के दौरान 26 लेखों को उनके संबंधित मासिक सिविल लेखों से बाहर रखा गया था, जिससे इन 26 लेखों को प्रस्तुत करने में 20 से 288 दिनों का विलंब हुआ। हालाँकि, वित्तीय वर्ष के अंत में कोई भी लेखा बाहर नहीं रहा। मासिक सिविल लेखे में सभी लेखों का समावेश सुनिश्चित करके लेखे की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है।

अन्य मुद्दे

4.17 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि

बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 31 में प्रावधान किया गया है कि लोक निधि, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति का गबन या अन्य प्रकार से हानि से संबंधित मामले, संबंधित कार्यालय द्वारा उच्चाधिकारी एवं वित्त विभाग के साथ–साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भी तत्काल सूचित किये जाने चाहिए, चाहे इस तरह हुई हानि की क्षतिपूर्ति संबंधित जिम्मेदार पक्ष के द्वारा क्यों न कर दी गई हो। इस तरह के मामलों को संदेह उत्पन्न होने के तुरंत बाद बिना जाँच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये प्रतिवेदित कर दिया जाना चाहिए। 44 विभागों में से, सात विभागों[5] ने 'शून्य' सूचना प्रस्तुत की थी और एक विभाग और एक एस0पी0एस0ई0 द्वारा दी गई सूचना **तालिका 4.20** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.20: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जांच का इंतजार		विभागीय कार्रवाई शुरू की गई लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया गया		आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली लंबित है	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
मत्स्य पालन निदेशालय	05	0.28	-	-	-	-	05	0.28
बिहार राज्य भंडारण निगम	01	4.04	01	4.04	-	-	-	-

(स्रोतः संबंधित विभाग/एस0पी0एस0ई0 द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

विभागों द्वारा तालिका में दर्शाए गए मामलों में अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी था।

[5] पंचायती राज, गन्ना उद्योग, मंत्रीमंडल सचिवालय, विधि, अल्पसंख्यक कल्याण, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, सूचना एवं लोक संपर्क।

4.18 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) को यह अपेक्षित होता है कि राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन की प्रस्तुति के बाद संबंधित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा में वर्णित कंडिकाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर टिप्पणी उपस्थापित की जाए। संबद्ध विभागों से यह भी अपेक्षित होता है कि वे महालेखाकार को (उसकी पुष्टि के उपरांत लो0ले0स0 को अग्रेषण के लिए) की गई कारवाई का प्रतिवेदन (ए0टी0एन0) उपलब्ध कराएंगे।

लो0ले0स0 द्वारा राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए की गयी बैठक के विवरण **तालिका 4.21** में है। वर्ष 2008–09 से 2020–21 तक के वर्षों से संबंधित 355 कंडिकाओं में से 03 कंडिकाओं पर चर्चा की गई, और 352 कंडिकाएँ मार्च 2023 तक, चर्चा के लिए लंबित थे।

तालिका 4.21 लो0ले0स0 द्वारा आयोजित बैठकों की स्थिति

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	लो0ले0स0 द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या
1.	2018-19	03
2.	2019-20	01
3.	2020-21	02
4.	2021-22 एवं 2022-2023	शून्य

आगे, विधायिका के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद, वित्त विभाग को सभी विभागों को निर्देश जारी करने चाहिए थे कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी कंडिकाओं पर स्वतः समीक्षा एवं कार्रवाई प्रारंभ कर दें, भले ही इन मामलों की जाँच लो0ले0स0 द्वारा प्रारंभ की गई हो अथवा नहीं। .

4.19 अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 177 के अनुसार, जब तक तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो, कोषागार से कोई धनराशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए। यदि विशेष परिस्थिति में अग्रिम के रूप में धनराशि का आहरण किया जाता है, तो इस प्रकार आहरित राशि का अव्ययित शेष, अगले विपत्र में कम आहरण द्वारा अथवा अभिश्रव द्वारा यथाशीघ्र एवं किसी भी स्थिति में उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धनराशि का आहरण किया गया हो, की समाप्ति के पूर्व कोषागार में वापस जमा करा दिया जाना चाहिए।

31 मार्च 2023 तक ₹ 184.52 करोड़ की राशि, जिन्हें इन निर्देशों के संदर्भ में कोषागार को वापस किया जाना था, असमायोजित अग्रिम के रूप में लम्बित थी। इसके अलावा लोक कार्य प्रमंडलों द्वारा ₹ 25.46 करोड़ की राशि भी अग्रदाय के रूप में रखी गयी थी। विवरण **तालिका 4.22** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.22: 31 मार्च 2023 को असमायोजित अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	असमायोजित अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1	भवन निर्माण	5.45	7.08	12.53
2	सिंचाई	25.25	1.65	26.90
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.15	0.48	8.63
4	पथ निर्माण (राष्ट्रीय राजमार्ग)	0.78	0.09	0.87
5	ग्रामीण कार्य	5.96	10.31	16.27
6	लघु सिंचाई	12.02	0.23	12.25
7	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	59.48	5.33	64.81
8	पथ निर्माण	67.43	0.29	67.72
कुल		**184.52**	**25.46**	**209.98**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

4.20 चेक एवं विपत्र

यह शीर्ष संव्यवहार के प्रारंभिक अभिलेखन के लिए एक मध्यस्थ लेखा उपकरण है, जिन्हे अंततः समायोजन/वापस कर दिया जाना है। लेखे के विभागीयकरण करने की योजना के अंतर्गत सरकार के दावों का भुगतान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पी0ए0ओ0) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाओं अथवा मंत्रालय/विभाग से मान्यता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से चेक आहरण द्वारा किया जाता है। जब दावों को उपयुक्त विपत्र फॉर्म में पी0ए0ओ0/विभागीय अधिकारी को दिया जाता है, तो पी0ए0ओ0/विभागीय अधिकारी द्वारा वेतन आदेश की अभिलेखण एंव निर्धारित जाँच के उपरांत चेक निर्गत कर भुगतान किया जाता है। शीर्ष "चेक एवं विपत्र" सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए भुगतान आदेशों (चेक आदि के माध्यम से) और इस तरह के भुगतान वास्तव में किए गए थे और सही ढंग से नामित किए गए थे, के बीच अंतर को दर्शाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत असमाशोधित शेष राशियों का निरंतर अस्तित्व सरकार के लेखे में दर्शाए गए नकद शेष को विकृत कर सकता है।

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त लेखे में, मुख्य शीर्ष 8670 "चेक एवं विपत्र" के अंतर्गत जमा नकद शेष दर्शाता है कि चेक निर्गत हुए लेकिन, उनका नकदीकरण नहीं हुआ। 01 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष ₹ 207.48 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 1,88,540.91 करोड़ के चेक निर्गत किए गए जिसमें से ₹ 1,88,577.08 करोड़ का वर्ष के दौरान नकदीकरण किया गया, जिससे समापन शेष ₹ 171.31 करोड़ (जमा) 31 मार्च 2023 तक रहा। समापन शेष राशि मूल रूप से विभिन्न कार्यकारी मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में दर्ज किए गए व्यय को दर्शाती है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक बिहार सरकार को कोई नकदी बहिर्वाह नहीं हुआ है।

"चेक एवं विपत्र" शीर्ष के अंतर्गत निरंतर शेष राशि का अस्तित्व, प्राप्ति एवं भुगतान नियम, 1983, का उल्लंघन था, जो यह निर्धारित करता है कि निर्गत होने के छह महीने से अधिक समय तक बकाया रहने वाले और नवीनीकृत नहीं किए गए चेक एवं विपत्र, को रद्द कर राशि को खातों में वापस कर दिया जाए।

"चेक एवं विपत्र" के अंतर्गत बकाया राशि, सरकार के नकद शेष को उस सीमा तक अतिकथन को दर्शाता है।

4.21 एकल नोडल लेखे (एस0एन0ए0)

नकदी प्रबंधन को अधिक प्रभावी और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के उद्देश्य से, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (मार्च 2021) के अनुसार, राज्य सरकारें और भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग, 01 जुलाई 2021 से केंद्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) के अंतर्गत निधियों के विमुक्त और उपयोगिता की निगरानी के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे हैं।

एकल नोडल लेखांकन का कार्यान्वयन

एकल नोडल लेखांकन के कार्यान्वयन के लिए:

- प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक सी0एस0एस0 के लिए एक एकल नोडल एजेंसी नामित करनी है। प्रत्येक एजेंसी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी0एफ0एम0एस0) में पंजीकृत हो तथा प्रत्येक एजेंसी का बैंक खाता एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोला गया हो और पी0एफ0एम0एस0 में अधिसूचित किया गया हो।

- एस0एन0ए0 के अंतर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के बैंक खाते में उपलब्ध निधियों को केन्द्र और राज्य के अंश के स्पष्ट विभाजन के साथ एस0एन0ए0 के बैंक खाते में अंतरित किया जाना हैं। केवल शून्य शेष वाले बैंक खाते खोले जाने हैं।
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आई0ए0) को शून्य शेष वाले खाते के साथ पी0एफ0एम0एस0 में खुद को पंजीकृत करना हैं। परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर, प्रत्येक योजना के लिए शून्य–शेष सहायक खाते सभी आई0ए0 के लिए चयनित बैंक की एक ही शाखा में या विभिन्न शाखाओं में खोले जाने हैं। इन सहायक खातों में समय–समय पर संबंधित एस0एन0ए0 द्वारा तय की जाने वाली आहरण सीमाएं आवंटित की जानी हैं और आहरण तुरंत किया जाना है।
- एस0एन0ए0 यह सुनिश्चित करें कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज को अनिवार्य रूप से संबंधित समेकित निधि में आनुपातिक आधार पर भेजा गया है।
- वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, मंत्रालय/विभाग द्वारा सी0एस0एस0 के लिए किसी राज्य को निर्धारित राशि का 25 प्रतिशत से अधिक राशि जारी नहीं किया जाना हैं। अतिरिक्त केंद्रांश (एक बार में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) एकल नोडल खाते में निर्धारित राज्य के अंश के हस्तांतरण और पहले जारी की गई निधियों के कम से कम 75 प्रतिशत के उपयोग पर विमुक्त किया जाना हैं। हालांकि, यह प्रावधान उन योजनाओं के मामले में लागू नहीं है, जहां मंत्रिमंडल द्वारा अलग मात्रा विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है।
- राज्य सरकार केंद्रांश को प्राप्त होने के 21 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एस0एन0ए0 के खाते में स्थानांतरित किया जाना हैं। केंद्रांश को पी0डी0 खातों या किसी अन्य खातों में स्थानांतरित नहीं किया जाना हैं। इसके अलावा, राज्यांश, केंद्रांश विमुक्त होने के 40 दिनों के बाद नहीं विमुक्त किया जाना हैं।
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने खातों में पड़ी अव्ययित राशि को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एस0एन0ए0 को वापस करना हैं। एस0एन0ए0 द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के खाते में पड़ी अव्ययित शेष राशि और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वापस की गई राशि से संबंधित अभिलेख का संधारण किया जाना हैं।
- इसके अलावा, नई प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अव्ययित पूरी राशि संबंधित एस0एन0ए0 के एकल नोडल खाते में वापस कर दी गई है।
- मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करे कि सभी सी0एस0एस0 के अंतर्गत आवंटन सख्ती से जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया गया हो।
- कर/वैधानिक कटौती के लिए एजेंसियों द्वारा एक अलग बैंक खाता (जिसे "होल्डिंग खाता" कहा जाता है) खोला जाना है। इस होल्डिंग खाते को पी0एफ0एम0एस0 के बाहर चेक अथवा इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति है, चालान के माध्यम से वैधानिक भुगतान प्रभावित हो, इसके लिए विस्तृत जानकारी दर्ज किया जाना हैं।
- होल्डिंग खाता का उद्देश्य राज्य सरकार, नगरपालिकाओं आदि के कर/शुल्क/लेवी/फीस/नगरपालिका शुल्क के रखने आदि से हैं जिसे एजेंसियों द्वारा संसाधित करना हैं। इस खाते में अधिकतम 14 दिन तक राशि रखी जा सकती है, जिसके बाद एजेंसी के खाते में राशि वापस की जानी हैं।

- ✦ समय–समय पर ऐसे खातों को दी गई आहरण सीमा के अनुसार, शून्य शेष वाले सहायक खातों से भुगतान किया जाना हैं। प्रत्येक सहायक खातों के संव्यवहार का निपटान एस0एन0ए0 के साथ उस दिन किये गए भुगतान के आधार पर, कोर बैकिंग समाधान (सी0बी0एस0) के माध्यम से किया जाना हैं।
- ✦ एस0एन0ए0 को प्राप्त सभी धन राशि को केवल एकल नोडल खाते मे रखना है, न कि फिक्सड डिपोजिट/फ्लेक्सी–खाता/मल्टी–ऑप्शन डिपोजिट खाता/कारपोरेट लिक्विड टर्म डिपोजिट (सी0एल0टी0डी0) आदि में विचलन करना है।

पी0एफ0एम0एस0 के आंकड़ो के अनुसार (पी0एफ0एम0एस0 डैशबोर्ड पर), 27.04.2023 तक, एस0एन0ए0 के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के साथ और बिहार में एस0एन0ए0 के कार्यान्वन की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गयाः–

(क) 113 एस0एन0ए0 एजेंसियों के अंतर्गत 4999 सहवर्ती एजेंसियाँ पंजीकृत थीं जिसके अंतर्गत 159262 शून्य शेष वाले बैंक खाते संचालित किए जा रहे थे। अतः कुल 164374 एजेंसियाँ पी0एफ0एम0एस0 में पंजीकृत थीं।

(ख) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, एस0एन0ए0 के तहत सी0एस0एस0 के लिए ₹ 35,420.09 करोड़ (भारत सरकार–₹ 24,398.36 करोड़, बिहार सरकार– ₹ 11,021.73 करोड़) जारी किये गये थे, जिसमें से केवल ₹ 34,462.41 करोड़ व्यय लेखांकित किये गये थे। कोषागार के माध्यम से एस0एन0ए0 को जारी किये गये ₹ 34,337.99 करोड़ के विरूद्ध, अग्रिम के रूप में ₹ 3,641.63 करोड़ तथा ₹ 6,673.73 करोड़ अभी भी व्यय किये जाने बाकी थे। बिहार सरकार ने ₹ 2,258.37 करोड़ का समानुपातिक राज्यांश एस0एन0ए0 को जारी नहीं किया था।

(ग) वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल ब्याज ₹ 330.63 करोड़ (₹ 15,681.83 करोड़ की शेष राशि पर अर्जित) में से समानुपातिक ब्याज की राशि को केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच विभाजित एवं हस्तांतरित किया जाना बाकी था।

(घ) वित्त लेखा 2022–23 के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने कोषागार खातों में वर्ष 2022–23 के दौरान, ₹ 22,481.46 करोड़ प्राप्त किये। 31 मार्च 2023 तक सरकार ने कोषागार खातों में प्राप्त केद्रांश ₹ 22,231.91 करोड़ और राज्यांश ₹ 14,190.40 करोड़ एस0एन0ए0 को हस्तांतरित किए। हालांकि, पी0एफ0एम0एस0 के अनुसार, भारत सरकार ने एस0एन0ए0 के तहत सी0एस0एस0 के लिए ₹ 24,398.36 करोड़ जारी किये थे। ₹ 36,422.31 करोड़ की कुल हस्तांतरित राशि में से ₹ 745.69 करोड़ ए0सी0 बिल के माध्यम से, ₹ 52.99 करोड़ छात्रवृति और वजीफा के बिल, ₹ 5,996.11 करोड़ पूर्ण हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल और ₹ 29,627.52 करोड़ सहायता अनुदान बिल के माध्यम से हस्तांतरित किए गए जो भारत सरकार के निर्देशों के विरूद्ध था।

(ङ) राज्य सरकार ने कोषागारों से एस0एन0ए0 को केन्द्रांश एवं राज्यांश को हस्तांतरित करने में 181 दिन तक का समय लिया।

(च) बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) के तहत एस0एन0ए0 के रूप में चालू खाता खोला गया था।

(छ) वर्ष 2020–21 से 2022–23 की अवधि के लिए, ₹ 19.17 करोड़ का संचयी ब्याज जल जीवन मिशन (एस0एन0ए0) में पड़ा था। यह राशि केन्द्र और राज्य सरकार मे समानुपातिक विभाजित होने के बाद उनके संबंधित समेकित निधि मे जमा की जानी थी।

(ज) भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एस0एन0ए0) ने ₹ 140.07 करोड़ सावधि जमा के रूप में विचलन किया था।

4.22 निष्कर्ष

- 41755 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0), जिनकी राशि ₹ 87,947.88 करोड़ है और 27392 विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) बिल, जिनकी राशि ₹ 7,489.05 करोड़ है, लंबित थे। यह प्रशासनिक विभागों में आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता हैं।
- राज्य सरकार ने वर्ष 2022–23 के दौरान, ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज भुगतान करने की ₹ 74.02 करोड़ की देनदारी का निर्वहन नहीं किया था।
- राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, व्यय (24.23 प्रतिशत) और प्राप्तियाँ (17.11 प्रतिशत) का पूर्ण समाशोधन नहीं किया था।
- राज्य सरकार ने 17 कार्यशील एस0पी0एस0ई0, एक सांविधिक निगम और 15 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे 31 मार्च 2023 तक (31 अगस्त 2023 तक) अंतिमीकृत नहीं किये गये थे, को ₹ 51,582.85 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश पूँजी, ऋण, प्रतिभूति, पूँजीगत अनुदान और अन्य) प्रदान की।
- वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य सरकार के नकद शेष मे असमाशोधित अंतर ₹ 612.28 करोड़ (नामे) था।
- राज्य सरकार ने संबंधित वित्तीय वर्ष के अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ₹ 686.77 करोड़ के गैर–बजट उधारी को प्रदर्शित नहीं किया था।

4.23 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग को चाहिए कि:

- लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत दर्शाए जाने वाली सभी व्यय एवं प्राप्ति संबंधी मदों की व्यापक समीक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि इस तरह के प्राप्ति और व्यय, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के परामर्श से उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किये जाए।
- सुनिश्चित करें कि; (क) सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि से परे लंबित एसी बिलों को समायोजित करें, (ख) ए0सी0 बिलों पर निधि की निकासी नियमों/संहिता प्रावधानों के अनुरूप है और (ग) ए0सी0 बिल केवल बजट के व्यपगत हो जाने से बचने के लिए तो नहीं निकाले गए हैं ।